



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई, 2025 ई0 (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-30

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	₹0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	601-622	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	253-262	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	313-326	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1

कार्यभार प्रमाणक

01 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-16/2025-प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1 की विज्ञप्ति सं0-854/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2020 दिनांक 01 जुलाई, 2025 के अनुपालन में, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन वेतनमान लेवल-13 'क' (रू0 131,100-216,600) का पदभार आज दिनांक 01 जुलाई, 2025 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी,
संतोष बडोनी,
अपर सचिव।

प्रतिहस्ताक्षरित,
आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

09 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-962/XXXI(15)/G/2025-31(सा0)/2015-श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सट्रमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना(संशोधित) संख्या-1303/रा0नि0आ0अनु0-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 के अनुसार राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 विकासखण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस दिनांक 24 जुलाई, 2025 (बृहस्पतिवार) एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस दिनांक 28 जुलाई, 2025 (सोमवार) को सम्बन्धित विकासखण्डों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को मतदान हेतु सुवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथियों को निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सुमन,
सचिव।

गृह अनुभाग-1

अधिसूचना

11 जुलाई, 2025 ई0

ई-पत्रावली संख्या-21957-उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-5(2)(क) के प्राविधानों के अनुक्रम में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री नारायण सिंह धानिक को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून में अध्यक्ष के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

अधिसूचना

21 जुलाई, 2025 ई0

ई0पत्रावली संख्या-89198-चूंकि राज्य सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील धनोल्ती के अंतर्गत सौंग नदी के दाहिने तट पर सौंग नदी के प्रारम्भिक बिन्दु ग्राम पसनी से ग्राम श्रीपुर तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, एस0टी0पी0 का निर्माण, रोपवे टावरों का निर्माण, मोबाइल टावर का निर्माण, हाई टेंशन विद्युत ट्रान्समिशन हेतु टावर का निर्माण कार्य, ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां।

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।”

- 2/ निर्बन्धित क्षेत्र पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियाँ और समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊँचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।”

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियाँ एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।
टिप्पणी— प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी देहरादून एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ-साथ जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

अधिसूचना संख्या:- 315408

ई0पत्रावली संख्या: 89198, दिनांक: 21 जुलाई, 2025

जनपद टिहरी गढ़वाल में तहसील धनोली के अन्तर्गत सोंग नदी के दाहिने तट पर सोंग नदी के प्रारम्भिक बिन्दु ग्राम पसनी से ग्राम श्रीपुर तक 25 वर्षीय (प्रतिषिद्ध) बाढ़ आवृत्ति की सीमा में आने वाली परिसम्पत्ति का विवरण।

प्रतिषिद्ध (Prohibited) क्षेत्रों की अनुसूची-01

जनपद-टिहरी गढ़वाल, तहसील-धनोली, ग्राम-पसनी							
क्रम संख्या I	खाता खतौन I संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू-उपयोग भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार	भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	1	1.656	राजकीय	जलमग्न	10(ii)	-
2	9	2 म0	0.040	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
3	9	3 म0	0.200	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
4	9	4 म0	0.810	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
5	9	7	0.972	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
6	9	8	0.033	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
7	10	9	0.105	राजकीय	जलमग्न	10(ii)	-
8	26	10	0.015	निजी भूमि	—	1 "क"	-
9	26	11	0.004	निजी भूमि	—	1 "क"	-
10	26	12	0.004	निजी भूमि	—	1 "क"	-
11	26	13	0.006	निजी भूमि	—	1 "क"	-
12	26	14	0.005	निजी भूमि	—	1 "क"	-
13	26	15	0.005	निजी भूमि	—	1 "क"	-
14	26	16	0.006	निजी भूमि	—	1 "क"	-
15	26	17	0.008	निजी भूमि	—	1 "क"	-
16	26	18	0.006	निजी भूमि	—	1 "क"	-
17	26	19	0.008	निजी भूमि	—	1 "क"	-
18	9	20	0.224	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
19	9	21	0.004	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
20	9	22	0.004	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
21	9	23	0.004	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
22	9	24	0.005	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
23	9	25	0.005	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
24	9	26	0.006	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
25	9	27	0.004	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
26	9	28	0.004	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
27	9	29	0.004	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
28	9	30	0.008	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
29	9	31	0.008	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
30	9	32	0.070	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
31	9	33	0.005	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
32	9	34	0.008	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
33	9	35	0.006	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
34	9	36	0.006	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
35	9	37	0.005	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
36	9	38	0.005	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
37	9	39	0.006	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
38	9	40	0.005	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
39	9	41	0.006	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-

40	9	42	0.011	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
41	9	43	0.009	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
42	9	44	0.016	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
43	9	45	0.011	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
44	9	46	0.005	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
45	9	47	0.008	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
46	9	48	0.003	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
47	9	49	0.009	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
48	9	50	0.008	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
49	10	51	0.006	राजकीय	जलमग्न	10(i)	-
50	9	52	0.006	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
51	3	53	0.043	निजी भूमि	भवन	1 "क"	-
52	3	54	0.050	निजी भूमि	—	1 "क"	-
53	3	55	0.070	निजी भूमि	—	1 "क"	-
54	3	56	0.021	निजी भूमि	—	1 "क"	-
55	3	57	0.008	निजी भूमि	—	1 "क"	-
56	3	58	0.008	निजी भूमि	—	1 "क"	-
57	3	59	0.005	निजी भूमि	—	1 "क"	-
58	3	60	0.025	निजी भूमि	—	1 "क"	-
59	3	61	0.035	निजी भूमि	—	1 "क"	-
60	3	62	0.013	निजी भूमि	—	1 "क"	-
61	3	63	0.006	निजी भूमि	—	1 "क"	-
62	3	64	0.024	निजी भूमि	भवन	1 "क"	-
63	3	65	0.028	निजी भूमि	भवन	1 "क"	-
64	3	67 म०	0.025	निजी भूमि	—	1 "क"	-
65	9	68 म०	0.118	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
66	9	71 म०	1.400	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
67	3	72	0.032	निजी भूमि	—	1 "क"	-
68	3	73	0.018	निजी भूमि	भवन	1 "क"	-
69	3	74	0.029	निजी भूमि	—	1 "क"	-
70	3	75	0.023	निजी भूमि	—	1 "क"	-
71	3	76	0.028	निजी भूमि	—	1 "क"	-
72	3	77	0.023	निजी भूमि	—	1 "क"	-
73	3	78	0.010	निजी भूमि	—	1 "क"	-
74	3	79	0.021	निजी भूमि	—	1 "क"	-
75	3	80	0.008	निजी भूमि	—	1 "क"	-
76	11	81	0.091	राजकीय	रास्ता	10(iii)	-
77	23	82	0.150	निजी भूमि	भवन	1 "क"	-
78	9	83	0.310	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
79	8	84	0.226	निजी भूमि	—	1 "क"	-
80	23	85	0.024	निजी भूमि	—	1 "क"	-
81	23	86	0.025	निजी भूमि	—	1 "क"	-
82	23	87	0.156	निजी भूमि	—	1 "क"	-
83	23	88	0.018	निजी भूमि	—	1 "क"	-
84	23	89	0.018	निजी भूमि	—	1 "क"	-
85	23	90	0.020	निजी भूमि	—	1 "क"	-
86	23	91	0.025	निजी भूमि	—	1 "क"	-
87	23	92	0.014	निजी भूमि	—	1 "क"	-
88	23	93	0.011	निजी भूमि	—	1 "क"	-
89	23	94	0.023	निजी भूमि	—	1 "क"	-
90	23	95	0.029	निजी भूमि	—	1 "क"	-
91	23	96	0.008	निजी भूमि	—	1 "क"	-
92	23	97	0.024	निजी भूमि	—	1 "क"	-
93	23	98 म०	0.014	निजी भूमि	—	1 "क"	-
94	23	99	0.024	निजी भूमि	—	1 "क"	-
95	23	100	0.045	निजी भूमि	—	1 "क"	-
96	23	101	0.015	निजी भूमि	—	1 "क"	-
97	23	102	0.020	निजी भूमि	—	1 "क"	-

98	23	103	0.010	निजी भूमि	—	1 "क"	-
99	23	104	0.018	निजी भूमि	—	1 "क"	-
100	23	105	0.013	निजी भूमि	—	1 "क"	-
101	23	106	0.014	निजी भूमि	—	1 "क"	-
102	23	107	0.020	निजी भूमि	—	1 "क"	-
103	23	108	0.033	निजी भूमि	—	1 "क"	-
104	23	109	0.029	निजी भूमि	—	1 "क"	-
105	7	110	0.024	निजी भूमि	—	1 "क"	-
106	7	111	0.015	निजी भूमि	—	1 "क"	-
107	7	112	0.015	निजी भूमि	—	1 "क"	-
108	9	113	0.095	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
109	23	114	0.013	निजी भूमि	—	1 "क"	-
110	7	115	0.020	निजी भूमि	भवन	1 "क"	-
111	7	116	0.013	निजी भूमि	—	1 "क"	-
112	7	117	0.016	निजी भूमि	—	1 "क"	-
113	7	118	0.011	निजी भूमि	—	1 "क"	-
114	7	119	0.028	निजी भूमि	—	1 "क"	-
115	7	120	0.023	निजी भूमि	—	1 "क"	-
116	7	121	0.014	निजी भूमि	—	1 "क"	-
117	7	122	0.023	निजी भूमि	—	1 "क"	-
118	7	123	0.021	निजी भूमि	—	1 "क"	-
119	7	124	0.115	निजी भूमि	—	1 "क"	-
120	10	132	0.300	राजकीय	जलमग्न	10(i)	-
121	9	133	0.083	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
122	10	134	0.043	राजकीय	जलमग्न	10(i)	-
123	6	138	0.005	—	—	7 क	-
124	6	141	0.005	—	—	7 क	-
125	6	142	0.006	—	—	7 क	-
126	6	144	0.008	—	—	7 क	-
127	9	145	0.038	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
128	6	146	0.011	—	—	7 क	-
129	6	147	0.005	—	—	7 क	-
130	6	148	0.005	—	—	7 क	-
131	6	149	0.004	—	—	7 क	-
132	6	155	0.005	—	—	7 क	-
133	6	157	0.008	—	—	7 क	-
134	6	158	0.009	—	—	7 क	-
135	9	159 म 0	0.371	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
		कुल	9.232				

जनपद—टिहरी गढ़वाल, तहसील—धनोली, ग्राम—कुन्ड

क्रम संख्या	खाता खतौन १ संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाड मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप / क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार	भूमि की श्रेणी	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	1230 म 0	0.030	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
2	5	1411 म 0	0.045	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
3	11	1412	0.035	निजी भूमि	—	1 "क"	-
4	11	1413 म 0	0.015	निजी भूमि	—	1 "क"	-
5	19	1430	0.023	निजी भूमि	—	1 "क"	-
6	19	1431	0.027	निजी भूमि	—	1 "क"	-
7	19	1432	0.025	निजी भूमि	—	1 "क"	-
8	27	1433	0.013	निजी भूमि	—	1 "क"	-
9	27	1434	0.010	निजी भूमि	—	1 "क"	-
10	23	1439	0.011	निजी भूमि	—	1 "क"	-
11	23	1441 म 0	0.040	निजी भूमि	—	1 "क"	-

12	23	1442 म 0	0.080	निजी भूमि	—	1 "क"	
13	23	1502 म 0	0.010	निजी भूमि	—	1 "क"	
14	23	1503 म 0	0.020	निजी भूमि	—	1 "क"	
		कुल	0.384				

जनपद—टिहरी गढ़वाल, तहसील—धनोली, ग्राम—सेरा

क्रम संख्या 1	खाता खतौन 1 संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार,		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	34	2	0.009	निजी	-	1 क	.
2	34	3	0.004	निजी	-	1 क	.
3	4	4	0.005	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
4	34	5	0.004	निजी	-	1 क	.
5	4	6	0.009	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
6	34	7	0.010	निजी	-	1 क	.
7	34	8	0.015	निजी	-	1 क	.
8	34	9	0.010	निजी	-	1 क	.
9	34	10	0.018	निजी	-	1 क	.
10	34	11	0.034	निजी	-	1 क	.
11	34	12	0.006	निजी	-	1 क	.
12	34	13	0.008	निजी	-	1 क	.
13	34	14	0.010	निजी	-	1 क	.
14	34	15	0.025	निजी	-	1 क	.
15	34	16	0.043	निजी	-	1 क	.
16	34	17	0.030	निजी	-	1 क	.
17	34	18 म 0	0.010	निजी	-	1 क	.
18	2	20 म 0	0.014	निजी	-	1 क	.
19	8	21 म 0	0.022	निजी	-	1 क	.
20	4	22 म 0	0.016	निजी	-	1 क	.
21	4	23 म 0	0.012	निजी	-	1 क	.
22	3	25 म 0	0.500	राजकीय	बंजर	7 क	.
23	8	26	0.010	निजी	-	1 क	.
24	8	27 म 0	0.010	निजी	-	1 क	.
25	8	28 म 0	0.016	निजी	-	1 क	.
26	8	29	0.005	निजी	-	1 क	.
27	33	30	0.030	निजी	-	1 क	.
28	33	31	0.018	निजी	-	1 क	.
29	33	32	0.013	निजी	-	1 क	.
30	34	33	0.010	निजी	-	1 क	.
31	33	34	0.011	निजी	-	1 क	.
32	33	35	0.005	निजी	-	1 क	.
33	8	40	0.015	निजी	-	1 क	.
34	5	143	0.713	राजकीय	जलमग्न	10(i)	.
35	4	189	0.025	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
36	4	194	0.010	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
37	34	195	0.011	निजी	-	1 क	.
38	5	196	0.009	राजकीय	जलमग्न	10(i)	.
39	34	197	0.023	निजी	-	1 क	.
40	4	203 म 0	0.025	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
41	4	815 म 0	0.040	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
42	8	816	0.005	निजी	-	1 क	.
43	8	817	0.011	निजी	-	1 क	.
44	8	818	0.014	निजी	-	1 क	.

45	8	819	0.028	निजी	-	1 क	.
46	8	820	0.010	निजी	-	1 क	.
47	8	848	0.011	निजी	-	1 क	.
48	4	850	0.011	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
49	8	851	0.010	निजी	-	1 क	.
50	8	852	0.010	निजी	-	1 क	.
51	8	853	0.016	निजी	-	1 क	.
52	8	854	0.023	निजी	-	1 क	.
53	8	855	0.033	निजी	-	1 क	.
54	8	856	0.025	निजी	-	1 क	.
55	8	857	0.030	निजी	-	1 क	.
56	8	858	0.015	निजी	-	1 क	.
57	4	859	0.018	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
58	10	860	0.009	निजी	-	1 क	.
59	8	861	0.020	निजी	-	1 क	.
60	4	862	0.036	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
61	10	863	0.008	निजी	-	1 क	.
62	10	864	0.008	निजी	-	1 क	.
63	2	865	0.011	निजी	-	1 क	.
64	10	866	0.010	निजी	-	1 क	.
65	5	1000	0.476	राजकीय	जलमग्न	10(i)	.
66	5	1042	0.028	राजकीय	जलमग्न	10(i)	.
67	4	1043	0.256	राजकीय	बंजर	9(3) ड	.
68	5	1044	0.662	राजकीय	जलमग्न	10(i)	.
		कुल	3.607				

जनपद-टिहरी गढ़वाल, तहसील-धनोली, ग्राम-घुड़सालगाँव

क्रम संख्या T	खाता खतौन I संख्या	खसरा / गाटा संख्या	वाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15	1	0.080	राजकीय	जलमग्न	10(i)	.
2	14	2	0.025	राजकीय	बंजर	9(3) ड	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
3	15	3	0.100	राजकीय	जलमग्न	10(i)	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
4	14	178 म०	1.000	राजकीय		8	वन विभाग, वृक्षारोपण हेतु
5	14	1094	0.051	राजकीय	जलमग्न	10(i)	.
6	14	1095	0.350	राजकीय	बंजर	9(3) ड	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
7	22	1096 अ	0.240	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
8	19	1097	0.004	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
9	19	1098	0.003	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
10	19	1099	0.003	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
11	19	1100	0.005	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
12	19	1101	0.006	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
13	19	1102	0.009	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
14	19	1103	0.006	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
15	19	1104	0.006	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
16	10	1105	0.010	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
17	10	1106	0.010	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित

[illegible]

56	19	1145	0.006	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
57	19	1146	0.008	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
58	19	1147	0.009	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
59	19	1148	0.011	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
60	19	1149	0.006	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
61	19	1150	0.009	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
62	19	1151	0.005	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
63	14	1152	0.060	राजकीय	बंजर	9(3) ड	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
64	19	1153	0.009	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
65	19	1154	0.009	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
66	19	1155	0.010	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
67	19	1156	0.010	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
68	19	1157	0.008	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
69	19	1158	0.006	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
70	19	1159	0.004	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
71	10	1161	0.013	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
72	10	1162	0.009	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
73	10	1163	0.005	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
74	10	1164	0.030	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
75	14	1165	0.136	राजकीय	बंजर	9(3) ड	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
76	15	1166	0.008	राजकीय	जलमग्न	10(i)	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
77	16	1167	0.001	राजकीय	रास्ता	10(iii)	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
78	20	1168 अ	0.401	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
79	15	1169	0.031	राजकीय	जलमग्न	10(i)	-
80	14	1170	0.166	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
81	19	1171	0.011	निजी	-	1 क	-
82	19	1172	0.005	निजी	-	1 क	-
83	19	1173	0.004	निजी	-	1 क	-
84	19	1174	0.006	निजी	-	1 क	-
85	19	1175	0.010	निजी	-	1 क	-
86	19	1176	0.006	निजी	-	1 क	-
87	19	1177	0.003	निजी	-	1 क	-
88	19	1178	0.004	निजी	-	1 क	-
89	19	1179	0.006	निजी	-	1 क	-
90	19	1180	0.003	निजी	-	1 क	-
91	19	1181	0.006	निजी	-	1 क	-
92	19	1182	0.009	निजी	-	1 क	-
93	19	1183	0.013	निजी	-	1 क	-
94	19	1184	0.006	निजी	-	1 क	-
95	19	1185	0.013	निजी	-	1 क	-
96	19	1186	0.006	निजी	-	1 क	-
97	19	1187	0.008	निजी	-	1 क	-
98	19	1188	0.008	निजी	-	1 क	-
99	19	1189	0.003	निजी	-	1 क	-

100	19	1190	0.004	निजी	-	1 क	-
101	19	1191	0.009	निजी	-	1 क	-
102	19	1192	0.004	निजी	-	1 क	-
103	19	1193	0.011	निजी	-	1 क	-
104	19	1194	0.048	निजी	-	1 क	-
105	19	1195	0.105	निजी	-	1 क	-
106	19	1196	0.005	निजी	-	1 क	-
107	19	1197	0.010	निजी	-	1 क	-
108	19	1198	0.004	निजी	-	1 क	-
109	19	1199	0.003	निजी	-	1 क	-
110	19	1200	0.003	निजी	-	1 क	-
111	19	1201	0.005	निजी	-	1 क	-
112	19	1202	0.006	निजी	-	1 क	-
113	19	1203	0.005	निजी	-	1 क	-
114	19	1204	0.004	निजी	-	1 क	-
115	19	1205	0.003	निजी	-	1 क	-
116	19	1206	0.018	निजी	-	1 क	-
117	15	1207	0.926	राजकीय	जलमग्न	10(i)	-
118	14	1208 म 0	2.500	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
119	15	1268	0.499	राजकीय	जलमग्न	10(i)	-
120	14	1272	0.120	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
121	14	1280	0.080	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
		कुल	7.777				

जनपद-टिहरी गढ़वाल, ताहसील-धनौली, ग्राम-रगड़गौंव

क्रम संख्या 1	खाता खतौन 1 संख्या	खसरा / गाटा संख्या 3	बाड मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में 4	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी 7	अभ्युक्ति 8
				भूमि का प्रकार 5	संरचना का प्रकार 6		
1	5	251 म०	0.250	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
2	8	252 म०	0.100	राजकीय	रोली	10(4)	-
3	5	388 म०	0.250	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
4	5	602 म०	0.417	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
5	24	637 म०	0.014	निजी भूमि	—	1 "क"	-
6	24	638	0.028	निजी भूमि	—	1 "क"	-
7	20	639	0.232	निजी भूमि	—	1 "क"	-
8	5	640 म०	0.287	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
9	5	660	0.186	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
10	6	661	0.009	राजकीय	जलमग्न	10 (i)	-
11	6	662	0.006	राजकीय	जलमग्न	10 (i)	-
12	11	663	0.003	निजी भूमि	—	1 "क"	-
13	26	673	0.108	निजी भूमि	—	1 "क"	-
14	6	674	0.059	राजकीय	जलमग्न	10 (i)	-
15	5	695	0.074	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
16	6	696	0.044	राजकीय	जलमग्न	10 (i)	-
17	5	697	0.163	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
18	6	698	0.058	राजकीय	जलमग्न	10 (i)	-
19	26	699	0.571	निजी भूमि	—	1 "क"	-
20	26	700	0.059	निजी भूमि	—	1 "क"	-
21	5	701	0.256	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
22	26	702	0.035	निजी भूमि	—	1 "क"	-
23	26	703	0.025	निजी भूमि	—	1 "क"	-
24	26	704	0.108	निजी भूमि	—	1 "क"	-
25	26	705	0.113	निजी भूमि	—	1 "क"	-
26	26	706	0.050	निजी भूमि	—	1 "क"	-
27	26	707	0.075	निजी भूमि	—	1 "क"	-

28	5	710	0.587	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
29	14	717	0.160	निजी भूमि	—	1 "क"	-
30	8	718	0.096	राजकीय	रोली	10 (4)	-
31	5	719	0.314	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
32	5	720	0.491	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
		कुल	5.228				
जनपद—टिहरी गढ़वाल, तहसील—धनोली, ग्राम— महेन्द्रपुर							
क्रम संख्या I	खाता खतौन I संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	1 म०	0.800	राजकीय	जलमग्न	10 (1)	-
2	3	132 म०	0.250	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-
3	3	193 म०	0.005	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-
4	3	195 म०	0.050	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-
5	6	196 म०	0.600	राजकीय	जलमग्न	10 (1)	-
6	3	197 म०	0.450	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-
7	3	246 म०	0.500	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-
8	6	247 म०	0.647	राजकीय	जलमग्न	10 (1)	-
		कुल	3.302				
जनपद—टिहरी गढ़वाल, तहसील—धनोली, ग्राम— भरवाकाटल							
क्रम संख्या I	खाता खतौन I संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	1	0.354	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
2	6	2 म०	0.070	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
3	6	8 म०	0.060	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
4	7	9	0.276	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
5	6	10	0.256	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
6	6	11 म०	0.120	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
7	6	19 म०	0.300	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
8	7	20	0.429	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
9	6	21	0.237	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
10	14	23 म०	0.200	निजी	-	1 क	-
11	5	100 म०	0.030	निजी	-	1 क	-
12	5	101 म०	0.050	निजी	-	1 क	-
13	5	102 म०	0.070	निजी	-	1 क	-
14	5	103 म०	0.050	निजी	-	1 क	-
15	7	104	0.001	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
16	5	105	0.033	निजी	-	1 क	-
17	7	106	0.039	निजी	-	1 क	-
18	8	107	0.019	राजकीय	सडक आदि	15 (2)	-
19	7	109 म०	0.015	निजी	-	1 क	-
20	6	202	0.010	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
21	7	203 म०	0.050	निजी	-	1 क	-
22	7	204 म०	0.015	निजी	-	1 क	-
23	6	483 म०	0.350	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
24	9	484 म०	0.100	राजकीय	रोली रोखड	15 (IV)	-
25	9	485	0.030	राजकीय	रोली रोखड	15 (IV)	-
26	6	486	0.210	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
27	7	487	0.331	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
28	6	488	0.126	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
29	7	489	0.008	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-

30	7	490	0.013	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
31	7	491	0.004	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
32	7	492	0.049	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
33	7	493	0.010	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
34	6	494	0.024	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
35	7	495	0.009	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
36	6	496	0.038	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
37	6	497 म०	0.400	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
38	7	498	0.194	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
39	7	503	0.035	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
40	6	504 म०	0.300	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
41	6	505 म०	0.050	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
42	6	508 म०	0.070	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
43	7	509 म०	0.134	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
		कुल	5.169				
जनपद—टिहरी गढ़वाल, तहसील—धनौली, ग्राम—श्रीपुर							
क्रम संख्या 1	खाता खतौन 1 संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	1	1.360	राजकीय	जलमग्न	10(1)	-
2	13	33 म०	0.028	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
3	13	35 म०	0.070	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
4	13	158 म०	0.045	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
		कुल	1.503				

अधिसूचना संख्या:-315408 ई0पत्रावली संख्या: 89198, दिनांक: 21 जुलाई, 2025
जनपद टिहरी गढ़वाल में तहसील धनोली के अर्न्तगत सोंग नदी के दाहिने तट पर सोंग नदी के प्रारम्भिक बिन्दु ग्राम पसनी से ग्राम श्रीपुर तक 100 वर्षीय (निर्बन्धित) बाढ़ आवृत्ति की सीमा में आने वाली परिसम्पत्ति का विवरण।

निर्बन्धित (Restricted) क्षेत्रों की अनुसूची-02

जनपद-टिहरी गढ़वाल, तहसील-धनोली, ग्राम-पसनी							
क्रम संख्या 1	खाता खतौनी संख्या	खसरा/गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	67	0.030	निजी भूमि	—	1 "क"	-
2	7	125 म०	0.062	निजी भूमि	—	1 "क"	-
3	7	126	0.130	निजी भूमि	—	1 "क"	-
4	7	127	0.060	निजी भूमि	—	1 "क"	-
5	9	131 म०	0.030	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
6	10	137	0.006	राजकीय	जलमग्न	10(i)	-
7	6	140	0.005	—	—	7 क	-
8	6	143	0.004	—	—	7 क	-
9	6	150	0.006	—	—	7 क	-
10	6	151	0.004	—	—	7 क	-
11	6	152	0.006	—	—	7 क	-
12	6	153	0.008	—	—	7 क	-
13	6	154	0.006	—	—	7 क	-
14	6	156	0.004	—	—	7 क	-
15	9	159 म०	0.371	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
16	25	160	0.074	निजी भूमि	—	1 "क"	-
17	25	161	0.026	निजी भूमि	श्वेत	1 "क"	-
18	25	165	0.161	निजी भूमि	—	1 "क"	-
19	7	166	0.326	पट्टा	—	7 क	-
20	9	168	0.115	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
		कुल	1.434				
जनपद-टिहरी गढ़वाल, तहसील-धनोली, ग्राम-कुण्ड							
क्रम संख्या 1	खाता खतौनी संख्या	खसरा/गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	1230 म०	0.020	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
2	5	1411 म०	0.045	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
3	11	1414	0.045	निजी भूमि	—	1 "क"	-
4	12	1418 म०	0.070	निजी भूमि	—	1 "क"	-
5	23	1424 म०	0.080	निजी भूमि	—	1 "क"	-
6	23	1426	0.018	निजी भूमि	—	1 "क"	-
7	23	1441 म०	0.020	निजी भूमि	—	1 "क"	-
8	23	1442 म०	0.020	निजी भूमि	—	1 "क"	-
9	23	1502 म०	0.020	निजी भूमि	—	1 "क"	-
10	23	1503 म०	0.025	निजी भूमि	—	1 "क"	-
		कुल	0.363				
जनपद-टिहरी गढ़वाल, तहसील-धनोली, ग्राम-सेरा							
क्रम संख्या 1	खाता खतौनी संख्या	खसरा/गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	25 म०	0.300	राजकीय	बंजर	7 क	-
2	35	169	0.008	निजी	-	1 क	-
3	35	175	0.009	निजी	-	1 क	-
4	35	176	0.006	निजी	-	1 क	-

5	4	177	0.145	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
6	25	184	0.006	निजी	-	1 क	
7	25	185	0.005	सी	-	1 क	
8	25	186	0.013	निजी	-	1 क	
9	4	187	0.048	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
10	4	189	0.030	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
11	4	190	0.033	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
12	34	191	0.023	निजी	-	1 क	
13	34	192	0.010	निजी	-	1 क	
14	34	193	0.006	निजी	-	1 क	
15	5	198	0.010	राजकीय	जलमग्न	10(II)	
16	34	199	0.018	निजी	-	1 क	
17	34	200	0.013	निजी	-	1 क	
18	34	201	0.018	निजी	-	1 क	
19	34	202	0.015	निजी	-	1 क	
20	4	203 म 0	0.025	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
21	34	207	0.090	निजी	-	1 क	
22	34	208	0.023	निजी	-	1 क	
23	34	209	0.011	निजी	-	1 क	
24	34	210	0.050	निजी	-	1 क	
25	34	211	0.024	निजी	-	1 क	
26	34	212	0.021	निजी	-	1 क	
27	4	213	0.201	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
28	34	214 म 0	0.010	निजी	-	1 क	
29	4	815 म 0	0.040	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
30	4	867	0.014	निजी	-	1 क	
31	2	868	0.013	निजी	-	1 क	
32	34	885	0.008	निजी	-	1 क	
33	2	905	0.025	निजी	-	1 क	
34	2	906	0.004	निजी	-	1 क	
35	33	915	0.034	निजी	-	1 क	
36	2	916	0.010	निजी	-	1 क	
37	2	918 म 0	0.005	निजी	-	1 क	
38	2	927 म 0	0.012	निजी	-	1 क	
39	2	928 म 0	0.005	निजी	-	1 क	
40	2	929	0.010	निजी	-	1 क	
41	5	930	0.008	राजकीय	जलमग्न	10(II)	
42	4	931	0.010	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
43	5	932	0.004	राजकीय	जलमग्न	10(II)	
44	4	933	0.015	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
45	5	934	0.005	राजकीय	जलमग्न	10(II)	
46	5	935	0.025	राजकीय	जलमग्न	10(II)	
47	4	936	0.030	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
48	2	937 म 0	0.017	निजी	-	1 क	
49	4	999 म 0	0.020	राजकीय	बंजर	9(3) ड	
		कुल	1.475				

जनपद-टिहरी गढ़वाल, तहसील-धनोली, ग्राम-घुड़सालगाँव

क्रम संख्या I	खाता खतीनी संख्या	खसरा/गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15	1	0.020	राजकीय	जलमग्न	10(II)	
2	15	3	0.505	राजकीय	जलमग्न	10(II)	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
3	14	178 म 0	1.500	राजकीय		8	वन विभाग, वृक्षारोपण हेतु
4	14	1095	0.457	राजकीय	बंजर	9(3) ड	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
5	22	1096 अ	0.120	निजी	-	1 क	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
6	14	1160	0.031	बंजर		9(3) ड	सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित

7	14	1272	0.109	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
8	14	1280	0.046	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
		कुल	2.788				
जनपद-टिहरी गढ़वाल, तहसील-धनोली, ग्राम-रगड़गौव							
क्रम संख्या I	खाता खतीनी संख्या	खसरा/ गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	251 म०	0.250	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
2	5	332 म०	1.985	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
3	19	389 म०	0.024	निजी भूमि	—	1 "क"	-
4	20	641	0.095	निजी भूमि	—	1 "क"	-
5	20	642	0.105	निजी भूमि	—	1 "क"	-
6	20	643 म०	0.050	निजी भूमि	—	1 "क"	-
7	3	652 म०	0.030	निजी भूमि	—	1 "क"	-
8	7	654	0.035	निजी भूमि	—	1 "क"	-
9	8	655	0.090	निजी भूमि	—	1 "क"	-
10	11	664	0.040	निजी भूमि	—	1 "क"	-
11	8	671	0.080	निजी भूमि	—	1 "क"	-
12	6	672	0.025	राजकीय	जलमग्न	10 (I)	-
13	26	673	0.109	निजी भूमि	—	1 "क"	-
14	8	675	0.058	निजी भूमि	—	1 "क"	-
15	8	676	0.070	निजी भूमि	—	1 "क"	-
16	8	677	0.073	निजी भूमि	—	1 "क"	-
17	5	681	0.271	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
18	2	683	0.006	निजी भूमि	—	1 "क"	-
19	2	684	0.005	निजी भूमि	—	1 "क"	-
20	2	685	0.003	निजी भूमि	—	1 "क"	-
21	10	686	0.005	निजी भूमि	—	1 "क"	-
22	6	687	0.009	राजकीय	जलमग्न	10 (I)	-
23	2	688	0.025	निजी भूमि	—	1 "क"	-
24	2	689	0.020	निजी भूमि	—	1 "क"	-
25	2	690	0.006	निजी भूमि	—	1 "क"	-
26	2	691	0.010	निजी भूमि	—	1 "क"	-
27	2	692	0.014	निजी भूमि	—	1 "क"	-
28	2	693	0.015	निजी भूमि	—	1 "क"	-
29	2	694	0.018	निजी भूमि	—	1 "क"	-
30	2	711	0.010	निजी भूमि	—	1 "क"	-
31	2	712	0.018	निजी भूमि	—	1 "क"	-
32	2	713	0.018	निजी भूमि	—	1 "क"	-
33	2	714	0.010	निजी भूमि	—	1 "क"	-
34	2	715	0.020	निजी भूमि	—	1 "क"	-
35	14	717	0.165	निजी भूमि	—	1 "क"	-
		कुल	3.767				
जनपद-टिहरी गढ़वाल, तहसील-धनोली, ग्राम- गहेन्द्रपुर							
क्रम संख्या I	खाता खतीनी संख्या	खसरा/ गाटा संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	1 म०	0.107	राजकीय	जलमग्न	10 (I)	-
2	3	132 म०	0.150	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-
3	3	193 म०	0.005	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-
4	3	195 म०	0.050	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-

5	6	196 ग0	0.252	राजकीय	जलमग्न	10 (1)	-
6	3	197 ग0	0.050	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-
7	3	246 ग0	0.100	राजकीय	वन पंचायत	7 (क)	-
		कुल	0.714				
जनपद-टिहरी गढवाल, तहसील-धनोल्दी, ग्राम- भरवाकाटल							
क्रम संख्या I	खाता खतौनी संख्या	खसरा/ गाटा संख्या	बाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	2 ग0	0.030	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
2	6	8 ग0	0.020	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
3	6	11 ग0	0.030	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
4	14	23 ग0	0.100	निजी	-	1 क	-
5	7	502	0.003	राजकीय	जलमग्न	15 (1)	-
		कुल	0.183				
जनपद-टिहरी गढवाल, तहसील-धनोल्दी, ग्राम-श्रीपुर							
क्रम संख्या I	खाता खतौनी संख्या	खसरा/ गाटा संख्या	बाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू-उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	33 ग0	0.002	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
2	13	35 ग0	0.030	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
3	13	156 ग0	0.015	राजकीय	बंजर	9(3) ड	-
		कुल	0.047				

आज्ञा से,
युगल किशोर पंत,
सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना)

23 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-930/XXxi(15)G/25-13(सा0)/2015-राज्यपाल, जनगणना नियम 1990 के नियम 8(i) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित जनगणना कराने के आशय को उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में निम्नानुसार पुनः प्रकाशित करते हैं:-

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 जून, 2025

का.आ. 2681 (अ).- केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 28 मार्च, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1455 (अ) तारीख 26 मार्च, 2019 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी।

2. उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च, 2027 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी।

3. संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख अक्टूबर, 2026 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी।

(फा०सं० 9/8/2025-सीडी(सीइएन),
मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
सचिव, जनगणना।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 930/XXXI(15)G/25-13(GAD)/2015 Dated- July 23, 2025 for general information.

July 23, 2025

No. 930/XXXI(15)G/25-13(GAD)/2015--In exercise of the powers conferred under rule 8(i) of the Census Rules 1990, the Governor is pleased to republish the intention of taking a census notified by the Central Government, in the official gazette of the State of Uttarakhand as follows:-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS.
(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

S.O. 2681(E).- In exercise of the powers conferred by section-3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 1455(E), dated the 26th March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th March, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that a census of the population of India shall be taken during the year 2027.

2. The reference date for the said census shall be 00:00 hours of the 1st day of March, 2027, except for the Union territory of Ladakh and snow-bound non-synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand.

3. In respect of the Union territory of Ladakh and snow-bound non-synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand, the reference date shall be 00:00 hours of the 1st day of October, 2026.

[F.No. 9/8/2025-CD (Cen)]

Mritunjay Kumar Narayan, Registrar and Census Commissioner, India

By Order,

DEEPAK KUMAR,
Secretary, Census.

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

20 जून, 2025 ई०

संख्या-103/VII-A-1/2025-26(अधिष्ठान)/2015-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, वेतनमान रु० 78,800-2,09,200 (लेवल-12) के रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री दिनेश कुमार, उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, टिहरी को तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत श्री दिनेश कुमार, उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2024 के नियम-19 में विहित परीक्षा अवधि पर रहेंगे।
3. उक्तानुसार पदोन्नत श्री दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

कार्यालय ज्ञाप

30 जून, 2025 ई०

संख्या-1618/VII-A-1/2025-06(5)2025-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत खान अधिकारी समूह 'ख' वेतनमान रु० 56100-177500 (लेवल-10) के रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री ऐश्वर्य शाह, वरिष्ठ सर्वेक्षक को पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. खान अधिकारी के पद पर पदोन्नत श्री ऐश्वर्य शाह, उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2024 के नियम-19 में विहित परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
लक्ष्मण सिंह,
अपर सचिव।

वित्त अनुभाग-9

विज्ञप्ति/पदोन्नति

01 जुलाई, 2025 ई०

संख्या-310233/2025/XXVII(9)/स्टाम्प-02/2017/ई०-55195-उत्तराखण्ड उप-निबंधक सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित नियमावली, 2015 के प्राविधानों के अधीन स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड में चयन वर्ष 2024-25 में उप निबंधक (श्रेणी-II) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 रु० 44900-142400 (पूर्व वेतन बैंड रु० 9300-34800 ग्रेड पे रु० 4600) के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उप निबंधक (श्रेणी-I) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 रु० 56100-177500 (पूर्व वेतन बैंड रु० 15600-39100 ग्रेड पे रु० 5400) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है:-

1. श्री श्रीकान्त यादव
2. श्री अभित कपूर
3. श्री मलिक औसाफ अहमद
4. श्री सन्दीप कुमार तिवारी
5. श्रीमती चारु अग्रवाल
6. श्रीमती अपूर्वा सिंह
7. श्री हरीश चन्द्र
8. श्रीमती प्रीति मंजरी
9. सुश्री रिया वर्मा

- 2- उक्त पदोन्नत हो रहे अधिकारी कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।
- 3- उक्त अधिकारियों को पदोन्नति इस शर्त के साथ की जाती है कि मा० न्यायालय के आदेश अथवा अन्तिम रूप से वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा उ०प्र० राज्य से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यभार ग्रहण करने की दशा में 'पदोन्नति परिवर्तित/रद्द की जा सकेगी।

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-1

कार्यालय-झाप
(पदोन्नति)

27 जून, 2025 ई०

संख्या-309906/ई-41499/XIII-1/2025-01(53)2001-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन औद्यानिक विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 के प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' सेवा नियमावली, 1993 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन उद्यान विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान (वेतनमान रु० 56100-177500/वेतन लेवल-10) में नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	पदोन्नत अधिकारी के नाम	चयन वर्ष	अभ्युक्ति
1	श्रीमती प्रेमा राणा	2024-25	—
2	श्री राजेश प्रसाद, जसोला	2024-25	—
3	श्री महावीर सिंह रावत	2024-25	—
4	श्री पंकज कुमार	2024-25	—
5	श्री यशपाल सिंह नेगी	2024-25	श्री विरेन्द्र सिंह नेगी, जिला उद्यान अधिकारी के दिनांक: 30.06.2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त होने वाले आसन्न रिक्त पद के सापेक्ष।
6	श्रीमती हिमानी कोठारी	2024-25	श्री चन्दन सिंह बिष्ट, जिला उद्यान अधिकारी के दिनांक: 30.06.2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त होने वाले आसन्न रिक्त पद के सापेक्ष।

2. उक्त पदोन्नति मा० उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या:-356/एस०बी०/2021, शंकर लाल कोहली एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या:-335/एस०बी०/2019, चन्दन राम एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन की जाती है।
3. उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वह पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. श्री यशपाल सिंह नेगी एवं श्रीमती हिमानी कोठरी द्वारा श्री विरेन्द्र सिंह नेगी, जिला उद्यान अधिकारी एवं श्री चन्दन सिंह बिष्ट, जिला उद्यान अधिकारी के दिनांक: 30.06.2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त होने वाले रिक्त पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।
5. उपर्युक्तानुसार श्रेणी-2 में पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा में विहित व्यवस्थानुसार पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
महिमा रौकली,
संयुक्त सचिव।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

पदोन्नति/विज्ञप्ति

01 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-611/XLI-B-1/2025-04-प्रशि0/2024-कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत कार्यदेशक से प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के रिक्त पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दिनांक 06 मार्च, 2025 को आहूत चयन समिति की बैठक एवं इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या: 576/06/डी.पी.सी./कौ0वि0/सेवा-02/2024-25, दिनांक 18 मार्च, 2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में कार्यदेशक से प्रधानाचार्य श्रेणी-2 (वेतनमान रु0 56100-177500, लेवल-10) के पद पर निम्नलिखित कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदोन्नति का पद
1.	श्री प्रेम सिंह	प्रधानाचार्य श्रेणी-2

- 2- उक्त कार्मिक को पदोन्नति के फलस्वरूप प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
- 3- उक्त कार्मिक के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
गजेन्द्र सिंह कफलिया,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई, 2025 ई0 (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 17, 2025

No. 111/XIV/a-30/Admin.A/2010--Shri Dharam Singh, Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 13.12.2024 to 21.12.2024 with permission to suffix 22.12.2024 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C.

NOTIFICATION

June 17, 2025

No. 112/XIV/a-30/Admin.A/2010--Shri Dharam Singh, Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 01.04.2025 to 09.04.2025 with permission to prefix 30.03.2025 & 31.03.2025 as Sunday and Id-ul-Fitr holidays and suffix 10.04.2025 to 14.04.2025 as holidays.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL**NOTIFICATION**

June 18, 2025

No. 113/UHC/Admin.A-2/2025--Shri Subir Kumar, District & Sessions Judge, Nainital is transferred and posted as Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital, vice Shri Dharam Singh.

Note: Recommendation of the name of Shri Dharam Singh, Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital is being sent of the Uttarakhand State Legal Services Authority (SLSA), Nainital for his posting as Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar and after his posting as Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar, he is attached with the High Court of Uttarakhand, Nainital as Officer on Special Duty (OSD) till further orders.

Above orders will come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL**NOTIFICATION**

June 20, 2025

No. 114/XIV-a/50/Admin.A/2012--Ms. Neha Kushawaha, Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned child care leave for 40 days w.e.f. 01.02.2025 to 12.03.2025 with permission to suffix 13.03.2025 to 16.03.2025 as Holi holidays.

NOTIFICATION

June 20, 2025

No. 115/XIV-a-31/Admin.A/2016--Shri Vishal Vashisht, Civil Judge (Jr. Div.) Doiwala District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 14.02.2025 to 19.02.2025.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 20, 2025

No. 116/XIV-a/27/Admin.A/2011--Shri Rajeev Dhawan, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 10.02.2025 to 19.02.2025. with permission to prefix 08.02.2024 & 09.02.2024 as Saturday and Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 23, 2025

No. 117/XIV-a/27/Admin.A/2011--Shri Rajeev Dhawan, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 32 days w.e.f. 19.03.2025 to 19.04.2025 with permission to suffix 20.04.2025 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION

June 25, 2025

No. 119/UHC/Admin.A-2/2025--Mrs. Kahkasha Khan, Registrar, Uttarakhand Public Service Tribunal, Dehradun, who was attached with the High Court of Uttarakhand, Nainital as Officer on Special Duty (OSD) vide notification dated 06.06.2025, is hereby relieved from her attachment with the High Court of Uttarakhand, Nainital with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION

June 26, 2025

No. 120/XIV-a-46/Admin.A/2015--Shri Nadeem Ahamad, 4th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur District Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 05 days w.e.f. 06.01.2024 to 10.01.2024. with permission to prefix 05.01.2025 as Sunday and suffix 11.01.2025 & 12.01.2025 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

**कार्यालय सभागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल।**

कार्यालयादेश

21 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-673/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री मयंक जोशी पुत्र श्री विपिन चन्द्र जोशी निवासी-बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड का दिनांक 20.01.2025 को वाहन संख्या यू0के0 05 सी0 9982 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420250000435 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420250000435 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

24 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-699/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री दीप चन्द्र आर्या पुत्र श्री अम्बि राम निवासी-म0सं0 19 प्रेमपुर नवाड़ लामाचौड़, हल्द्वानी जनपद नैनीताल, उत्तराखण्ड का दिनांक 22.12.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 जी0 2516 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-कालाहूँगी जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420120081999 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420120081999 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

24 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-700/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री दीप बहादुर पुत्र श्री पुष्कर चन्द्र निवासी-अन्वूली घरमशाला जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड का दिनांक 02.01.2025 को वाहन संख्या यू0के0 18 सी0ए0 4277 (चालान संख्या-UK41063250102214758) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420030112988 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420030112988 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

24 फरवरी, 2025 ई०

पत्रांक:-701/प्रवर्तन/लाइ०नि०/2025-श्री गौरव रहेजा पुत्र श्री राम स्वरूप रहेजा निवासी-ए 301 थामेस ब्लॉक ओमेक्स रिविरा रुद्रपुर जनपद ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड का दिनांक 23.01.2025 को वाहन संख्या के०ए० 51 एम०एस० 6956 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। पुलिस सब इस्पेक्टर बेलानदुरु ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बैंगलुरु सिटी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420220002504 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420220002504 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

24 फरवरी, 2025 ई०

पत्रांक:-702/प्रवर्तन/लाइ०नि०/2025-श्री मोईन पुत्र श्री मंजूर खान निवासी-खताड़ी वार्ड नं० 3 रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 06.01.2025 को वाहन संख्या यू०के० 19 4825 (चालान संख्या-UK145614250106181413) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420160161242 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420160161242 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2025 ई०

पत्रांक:-1596/प्रवर्तन/लाइ०नि०/2025-श्री प्रवीन नेगी पुत्र श्री जयवीर सिंह नेगी निवासी-C/O फूल सिंह राजपूत डी 03 शक्ति नगर ढौंडा राजसामंद, राजस्थान दिनांक 29.03.2025 को वाहन संख्या आर०जे० 27 सीएच 5123 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-बनभूलपुरा जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या RJ 3020220002595 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या RJ 3020220002595 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1597/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री ललित कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी-ग्राम गड़कोट पो0 विसाड़ त0/जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड का दिनांक 18.01.2025 को वाहन संख्या यू0के0 05 टी0ए0 8585 (चालान संख्या-UK230133250118214336)का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। पुलिस चौकी हीरानगर, थाना कोतवाली हल्द्वानी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0520150021249 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0520150021249 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1598/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री रमेश पुत्र श्री नरपत सिंह निवासी-सी 305 ए राजीव नगर बेगमपुर, नार्थ वेस्ट दिल्ली का दिनांक 17.02.2025 को वाहन संख्या डी0एल0 1 एल0ए0डी 3091 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम, जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या DL-820210008295 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या DL-820210008295 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1599/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री राज पाल पुत्र श्री नन्द राम निवासी-ग्राम महचंडी थाना न्यूरिया जिला पिलीभीत उत्तरप्रदेश का दिनांक 02.03.2025 को वाहन संख्या यू0के0 04 टी0ए0 9763 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम, जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UP-2620130004973 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UP-2620130004973 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1600/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री गिरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ जोशी निवासी-म0सं0 67 बल्यूटी पो0 ज्योलीकोट नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 14.10.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 एम0 2742 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-तल्लीताल, जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420130121858 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420130121858 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1601/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री लोकमणि पुत्र श्री हरीश चन्द्र निवासी-म0सं0 144 स्नो ब्यू वार्ड नं0 3 नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 09.02.2025 को वाहन संख्या यू0के0 04 टी0बी0 0036 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-तल्लीताल, जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420110047532 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420110047532 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1602/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री बुद्ध राम पुत्र श्री धर्म चन्द्र निवासी-वी0पी0ओ0 गोलपुरा गोलागढ जिला भिवानी हरियाणा दिनांक 27.03.2025 को वाहन संख्या एच0आर0 16 जैड0 2155 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या HR-1620140079011 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या HR-1620140079011 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1603/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री कंचन कुमार पुत्र श्री बहादुर लाल निवासी-झिरोली जनोटी पलारी जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड दिनांक 27.03.2025 को वाहन संख्या यू0ए0 04 सी0 8731 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0220130005091 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0220130005091 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

05 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1604/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह पुत्र श्री संजीव कुमार भदौरिया निवासी-मोहल्ला दलगंज धिरोर थाना धिरोर मैनपुरी, उत्तरप्रदेश दिनांक 28.03.2025 को वाहन संख्या यू0पी0 84 ए0एन0 1051 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UP84 20210012342 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UP84 20210012342 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1895/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री पवन राम आर्या पुत्र श्री कमल राम आर्या निवासी-किशन नगरी, देवला मल्ला, कुंवरपुर गौलापार, हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 09.04.2025 को वाहन संख्या यू0के0 01 सी0ए0 0918 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK1920230000843 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK1920230000843 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 मई, 2025 ई०

पत्रांक:-1896/प्रवर्तन/लाइ०नि०/2025-श्री गोविन्द मण्डल पुत्र श्री सुनील मण्डल निवासी-जगदीशपुर, दिनेशपुर जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड का दिनांक 09.04.2025 को वाहन संख्या यू०के० 04 सी०सी० 1709 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0620080039805 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0620080039805 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 मई, 2025 ई०

पत्रांक:-1897/प्रवर्तन/लाइ०नि०/2025-श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेम चन्द्र निवासी-ग्राम रकवाल, ओझाखान, रामगढ़ जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 03.04.2025 को वाहन संख्या यू०के० 19 सी०ए० 0560 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420060051466 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420060051466 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 मई, 2025 ई०

पत्रांक:-1898/प्रवर्तन/लाइ०नि०/2025-श्री नीरज सती पुत्र श्री मदन मोहन सती निवासी-म०सं० 60 दुर्गापुरी वार्ड नं० 9 लखनपुर रामनगर, जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 13.04.2025 को वाहन संख्या के०ए० 03 एन०क्यू० 6968 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। पुलिस, सबइस्पेक्टर बेलन्दपुर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बैंगलुरु सिटी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420170177741 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420170177741 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1899/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री अभिषेक बिष्ट पुत्र श्री राजेन्द्र बिष्ट निवासी-म0सं0-1 टाईप-1 ब्लॉक 1 केशोपुर टैंक, तिलक नगर विकासपुरी पश्चिमी दिल्ली का दिनांक 03.05.2025 को वाहन संख्या यू0के0 04 ए0जी0 3678 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या DL09 20170434509 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या DL09 20170434509 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 मई, 2025 ई0

पत्रांक:-1900/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री मो0 समी पुत्र श्री वाजिद अली निवासी-म0सं0 78 वार्ड 25 बनभूलपुरा ला0न0-8 हल्द्वानी, जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 15.04.2025 को वाहन संख्या यू0के0 04 टी0बी0 6642 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420130119862 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420130119862 को निरस्त करता हूँ।

विपिन कुमार सिंह

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 729522691992 में उसका नाम मायरा (MAYRA) दर्ज है, लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम मायरा (MAYRA) से बदलकर माधुरी (MADHURI) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र पंजीकरण सं० B-2016: 5-90069-000830 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को माधुरी (MADHURI) पुत्री श्री अमित कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अमित कुमार

निवासी—म०नं० 111 पूर्वावली गणेशपुर रुड़की
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने अपने पुत्र का नाम अरमान रावत (ARMAAN RAWAT) से बदलकर आरुष रावत (AARUSH RAWAT) कर लिया है। भविष्य में उसे आरुष रावत के नाम से ही जाना व पढ़ा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पंकज रावत पुत्र श्री प्रकाश सिंह रावत
ग्राम जामू पो.ओ. फाटा, जिला रुद्रप्रयाग।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 989763396540 में त्रुटिवश उसका नाम अक्षत कुमार (Akshat Kumar) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम चिन्मय कुमार (Chinmay Kumar) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 20121212746 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को चिन्मय कुमार (Chinmay Kumar) पुत्र श्री सुधीर कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुधीर कुमार

निवासी-44/40/25, बॉडीगार्ड कैनाल
रोड जिला-देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 913785954125 में उसका नाम टिया (TIYA) दर्ज है लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम टिया (TIYA) से बदलकर नया नाम दृष्टि (DRISHTI) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B:2017:5-90411-003751 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को दृष्टि (DRISHTI) पुत्री श्री विकास कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विकास कुमार

निवासी मोहल्ला कड़व,
ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड 249407

सूचना

मेरे आधार कार्ड (आधार कार्ड संख्या 986162265272) में त्रुटिवश मेरा नाम कविता देवी दर्ज है, जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम कविता है। भविष्य में मुझे कविता के नाम से जाना पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कविता पत्नी श्री कुंवर सिंह

निवासी-सुनाड मल्ला, सुनाऊँ,
सुना ओभेंटा चमोली, उत्तराखण्ड-246482

सूचना

मेरी पुत्री के जन्म-प्रमाण पत्र में पुत्री का नाम-आकाशनी नौटियाल अंकित है। मैं सूचित करता हूँ कि मैंने अपनी पुत्री का नाम आकाशनी नौटियाल से बदलकर देविका नौटियाल (DEVVIKA NAUTIYAL) कर लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को देविका नौटियाल (DEVVIKA NAUTIYAL) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अमित नौटियाल पुत्र श्री इन्द्र दत्त नौटियाल

निवासी-1-172, नेहरू कॉलोनी, धर्मपुर,
अधोईवाला, देहरादून।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं० 683417707737 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम हनी (HONNY) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का सही नाम हिमांशु (HIMANSHU) है। जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं० B202405077510000020 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को हिमांशु (HIMANSHU) S/O JITENDRA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

JITENDRA

निवासी-म० नं० 113, मेहवड खुर्द

उर्फ नागल जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

I have changed my name from Santosh Kumar to Santosh Kumar Sahay and in future I would like to be known and called as Santosh Kumar Sahay S/o Devi Sahay R/o-Rasna Enclave, Nand Vihar Colony, Gali No.-2 Roorkee. This information will be useful to update name in government documents.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Santosh Kumar Sahay S/o Devi Sahay
R/o-Rasna Enclave, Nand Vihar Colony,
Gali No.- 2 Roorkee

सूचना

मेरे पुत्र के आधारकार्ड नं.-385836715668 में त्रुटिवश उसका नाम Party Khadka गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम पार्थ खड़का (Parth Khadka) है जो उसके जन्मप्रमाण-पत्र पंजीकरण सं.-20150910423 में भी दर्ज है, भविष्य में मेरे पुत्र को पार्थ खड़का (Parth Khadka) पुत्र श्री कुलदीप कुमार खड़का के नाम से जाना-पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कुलदीप कुमार खड़का
निवासी-ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन, पोस्ट
ऑफिस उमैदपुर प्रेमनगर, देहरादून

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 515482369366 में त्रुटिवश मेरा नाम कुलदीप गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सुमित रावत (SUMIT RAWAT) है। जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं० B-2023:9-9037-00576 व अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे सुमित रावत (SUMIT RAWAT) पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SUMIT RAWAT पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत
निवासी-त्रिकोट चमोली, उत्तराखण्ड।

सूचना

My name before marriage was Shikha Goyal. I have changed my name from Shikha Goyal to Shikha Rawat for all future documentation. I shall be known as Shikha Rawat w/o Ravindra Singh Rawat, permanent resident NehruGram, Mayur colony, Near Sai Mandir, Nehru Gram, Dehradun, Uttarakhand 248005.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Shikha Rawat w/o Ravindra Singh Rawat,
permanent resident NehruGram, Mayur
colony, Near Sai Mandir, Nehru Gram,
Dehradun, Uttarakhand 248005

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 610531569893 व पैन कार्ड नंबर EZSPP9729J में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम Edvina Pratap दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम Edvina Angeli है जो कि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 5319219 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे Edvina Angeli D/o Augustine Pratap के नाम से जाना पहचाना वह पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Edvina Angeli D/o Augustine Pratap
निवासी शेर कोठी मिशन कंपाउंड रुड़की
हरिद्वार

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 429493510062 में त्रुटिवश मेरा नाम ममतेश (MAMTESH) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम कृष्णा (KRISHNA) है। जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B202505079170000025 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK24ES0100433116 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे कृष्णा (KRISHNA) पत्नी स्व० जितेन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कृष्णा (KRISHNA) पत्नी स्व० जितेन्द्र कुमार
निवासी-पोस्ट पोडोवाली रायसी हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 519145511168 में त्रुटिवश उसका नाम परी (Pari) दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम प्रेरणा शर्मा है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं० 619 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को प्रेरणा शर्मा पुत्री हरिशंकर उपाध्याय के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

हरिशंकर उपाध्याय

निवासी-202 आदर्श नगर रुड़की,

हरिद्वार।

सूचना

मेरे सर्विस रिकॉर्ड में भूलवश मेरा नाम चन्दा गलत दर्ज है। जबकि मेरा वास्तविक नाम चन्दा देवी बैरवाण है। भविष्य में मुझे सही एवं वास्तविक नाम चन्दा देवी बैरवाण से जाना एवं दर्ज किया जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

चन्दा देवी बैरवाण पत्नी स्व० बहादुर लाल

निवासी सी.टी. 48, यमुना कॉलोनी, देहरादून।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं० 8095-5688-0324 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम अक्ष (AKSH) दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम कुनाल सिंह (KUNAL SINGH) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. B-2021:9-00604-000128 व हाईस्कूल अनुक्रमांक नं० 25127383 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को कुनाल सिंह (KUNAL SINGH) S/o HARBHAJAN SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

HARBHAJAN SINGH

निवासी-05 राज विहार कॉलोनी ढंडेरा

रुड़की हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 910122993576 में त्रुटिवश मेरा नाम आर.एस.अय्यर (R.S. AYYAR) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम शंकरानारायणा अय्यर (Sankaranarayana Iyer) है। भविष्य में मुझे शंकरानारायणा अय्यर पुत्र श्री रामाकृष्णा अय्यर (Ramakrishna Iyer) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शंकरानारायणा अय्यर पुत्र श्री रामाकृष्णा अय्यर (Ramakrishna Iyer)

निवासी ग्राम सुल्तानपुर साबितवाली तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

उत्तराखण्ड।

कार्यालय नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली

सार्वजनिक सूचना

15 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक 386/भवन कर उपविधि/2024-25-नगर पंचायत बदरीनाथ की सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 (1)(I) के तहत भवनों या भूमि दोने के वार्षिक मूल्य सम्पत्ति कर/भवन कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा पूर्व उपविधि को अतिक्रमित करते हुए सम्पत्ति/भवन कर उपविधि-2020 बनाई गयी है, इस उपविधि में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो उनसे आपत्ति व सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्रों में संशोधित उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर लिखित सुझाव एवं अपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बदरीनाथ को प्रेषित की जा सकेंगी, वाद मियाद आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा:-

पूर्व उपविधि में मुद्रित स्थान	पूर्व उपविधि अनुसार लागू(मुद्रित) उपनियम/अभियुक्ति	संशोधन पश्चात् लागू/उपविधि में मुद्रित किये जाने वाला उपनियम/अभियुक्ति
1- उपविधि के प्रथम पृष्ठ बिन्दु सं0 3	3- वार्षिक मूल्यांकन- नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा -141 (2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पालिका द्वारा समय समय पर परिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वो सदस्य हो, या न हो अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिये किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। (क) रेलवे स्टेशन, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि0 के प्रचलित सैडयूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 05 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा। (ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुण मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक 02 वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रायोजन के लिए कलैक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर बोर्ड द्वारा तय किया गया	वार्षिक मूल्यांकन- भवन या भूमि या दोनों जैसी भी स्थिति हो, का पूंजीगत मूल्य, जो कि भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों, जैसी भी स्थिति, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम - 1899 के प्रयोजनार्थ कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट/निर्माण की दर जो प्रचलन में हो, से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य। किन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि सम्पत्ति कर के अन्तर्गत सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से 01 प्रतिशत के मध्य होगी तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्तिकर प्रारम्भ होने के आगामी 05 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्षों में निर्धारित कर से कम अथवा 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तत्पश्चात् अनुवर्ती वर्षों में सम्पत्ति कर में प्रतिवर्ष वृद्धि की अधिकतम दर नियमावली में विहित रीति से तय की जायेगी।

	जलाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे मिहित किये जायें। (ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात) जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुणा पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है, कि जहाँ नगर पंचायत किराये में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपरोक्तानुसार से गणना की गयी हो अत्यधिक हो वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जिसमें एकरूपता, औचित्य और निकाय का हित प्रतीत हो का वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है। 1- वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कार्पेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी— (I) कक्ष— आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप। (II) आछादित बरामदा—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप। (III) बालकॉनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह—आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप। (III) गैराज— आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप। (IIII) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आछादित क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा। 2- उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम-1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया या मुक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा। 3-सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।	परन्तु यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा 01 अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पत्ति कर निर्धारित किया जायेगा।
2- उपविधि के द्वितीय पृष्ठ बिन्दु सं0 4	भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर— भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 12.5 प्रतिशत सम्पत्ति/भवनकर लिया जायेगा परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे। (क) मन्दिर अथवा दूसरी धार्मिक संस्थाएँ जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती हो, जो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होंगे। (ख) अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालायें तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्ही संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती है। (ग) नगर पंचायत की सम्पत्तियाँ।	(भवन का वार्षिक मूल्य = भवन एवं भूमि का आछादित क्षेत्रफल X गणना वर्ष को लागू प्रतिवर्ग मीटर सर्किल रेट) 1- आवासीय भवनों के लिए गणना निम्न भाँति की जायेगी। — 0.01 प्रतिशत। X भवन का वार्षिक मूल्यांकन। 2- व्यवसायिक भवनों (धर्मशाला/होटल/लॉज/होम स्टे व अन्य) के लिए गणना निम्न भाँति की जायेगी — 0.05 प्रतिशत। X भवन का वार्षिक मूल्यांकन।

	5- कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु नगर पलिका अधिनियम - 1916 की धारा- 141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय कि सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पत्ति/भवनकर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।	
3- उपविधि के तृतीय पृष्ठ बिन्दु सं० 9	सम्पत्ति/भवनकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष में 30 जुलाई तक सम्पत्ति/भवनकर की धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जो बकाया सम्पत्ति/भवनकर के बकायेदारों पर लागू नहीं होगी।	9 (क) नगर पंचायत बदरीनाथ के पास किसी सम्पत्ति/भवनकर में छूट देने एवं बढ़ोतरी करने का अधिकार सुरक्षित होगा। (ख) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा भवन कर निर्धारण हेतु सभी प्रपत्र नगर पंचायत को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे तो नगर पंचायत द्वारा सम्पत्ति/भूमि के अनुमानित आंगणन के अनुसार सम्पत्ति/भवनकर आरोपित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

सुनील पुरोहित
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बदरीनाथ।

चन्द्र शेखर वशिष्ठ
प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत बदरीनाथ।

कार्यालय-नगर निगम काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर

22 अप्रैल, 2025 ई0

पत्रांक-70/मु0कार्यालय/2025-26-

नगर निगम काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा-541के अन्तर्गत स्थित प्रेक्षागृह शुल्क उपविधि-2023 में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रेक्षागृह शुल्क को पुनः संशोधित दर प्रति शो 60 निर्धारित किया जाये सदन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व समस्त दरों में अंतिम बार परिवर्तन करते हुये 2014 से पूर्व प्रति शो 20 जिसे सहमति के बाद प्रति शो 30 से जमा कराया जाता रहा है को प्रति शो दुगुना अर्थात् प्रति शो 60 निर्धारित किया जाता है इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया जाता है कि एस0आर0एस0 मॉल सहित अन्य प्रेक्षागृहों से भी इसी दर के अनुसार धनराशि /शुल्क वसूला जाये। सम्बन्धित दरों की वसूली 2022 में किये गये नोटिफिकेशन की तिथि से ही संशोधित दरानुसार वसूल किया जाये अर्थात् प्रति शो 30 एवं 60 के अंतर का एरियर वर्ष 2022 से वसूल करते हुये प्रति वर्ष 1000 रुपये समाधान शुल्क अतिरिक्त जमा कराये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

मनीष कुमार
नगर आयुक्त,
नगर निगम काशीपुर।

दीपक बाली
महापौर,
नगर निगम काशीपुर।

कार्यालय-नगर निगम, काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर

22 अप्रैल, 2025 ई0

पत्रांक-71/मु0कार्यालय/2025-26-

नगर निगम, काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा-541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत सम्पत्ति/भवन कर जमा किये जाने के सम्बन्ध में बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

- 01- नगर निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष गृहकर लिये जाने की व्यवस्था 31 अक्टूबर के स्थान पर बिना अर्थदण्ड 31 मार्च अर्थात् वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक स्वीकृत की जाती है अब 31 अक्टूबर के बाद अधिरोपित 20 प्रतिशत अर्थदण्ड की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।
- 02- नगर निगम के पंजीकृत गृहकरदाताओं द्वारा यदि 31 मार्च तक अपना गृहकर जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे करदाताओं पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नियमानुसार साधारण ब्याज अधिरोपित करते हुये गृहकर की वसूली की जायेगी। जिसमें नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221 क का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 03- नगर निगम के समस्त पंजीकृत घरेलू एवं व्यावसायिक करदाताओं द्वारा यदि अपना-अपना सम्पत्ति कर 01 अप्रैल से 30 जून तक नगर निगम में एक मुश्त भुगतान किया जाता है तब सम्बन्धित सम्पत्ति स्वामी को कुल गृहकर/सम्पत्ति कर में 5 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जायेगा। जिसे प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना प्रस्तावित हैं।

मनीष कुमार
नगर आयुक्त,
नगर निगम, काशीपुर।

दीपक बाली
महापौर,
नगर निगम, काशीपुर।

कार्यालय-नगर निगम काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर

नगर निगम काशीपुर सीमान्तर्गत चलित ई-रिक्शा के विनियमन की उपविधि

22 अप्रैल, 2025 ई०

पत्रांक-72/मु० कार्यालय/2025-26-

नगर निगम काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड की धारा 451 452 व 541 (41 व 49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम काशीपुर की सीमान्तर्गत चलित ई-रिक्शा के विनियमन की उपविधि।

01- यह उपविधि नगर निगम सीमान्तर्गत ई-रिक्शा विनियमित एवं नियंत्रित करने की उपविधि 2025 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

02- परिभाषा:-

- (क)- अधिनियम-अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।
- (ख)- नगर निगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम काशीपुर की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमाएं भी इसमें सम्मिलित मानी जायेगी।
- (ग)- नगर आयुक्त-नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग/शासन से तैनात नगर आयुक्त से है।
- (घ)- मेयर-मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर (महापौर) से है।
- (ङ)- प्रशासक- प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा।
- (च)- बोर्ड-बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।
- (छ)- शासन-शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।
- (ज)- प्रतिवर्ष-प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।
- (झ)- अनुज्ञप्ति अधिकारी से तात्पर्य नगर आयुक्त जिस अधिकारी को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु नामित करें।
- (च)- अनुज्ञप्ति गृहिता का तात्पर्य उस व्यक्ति से जो निजी ई-रिक्शा चलाने की अनुमति प्राप्त करता हो।

शर्तें एवं नियम-

नगर निगम सीमान्तर्गत अनुज्ञप्ति अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई ई-रिक्शा नहीं चलाया जा सकता।

01-ई-रिक्शा सुदृढ एवं चालू अवस्था में हो।

02-ई-रिक्शा चालक की आयु 18 से 60 वर्ष होगी तथा चालक स्वस्थ हो किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त ना हो।

03-ई-रिक्शा शासन द्वारा स्वीकृत आकार एवं स्वरूप के हों।

04-ई-रिक्शा चालक को यातायात विभाग द्वारा चिह्नित मार्ग पर ही चलाने की अनुमति दी जायेगी यदि प्रतिबन्धित मार्ग पर ई-रिक्शा सवारी चलाता पाया गया तो उसके विरुद्ध अर्थदण्ड आरोपित करते हुये ई-रिक्शा को जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

05-समस्त ई-रिक्शा चालकों को सम्भागीय परिवहन विभाग से चालक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

06-नगर निगम द्वारा अनाधिकृत रूप से पकड़े गये ई-रिक्शा चालक पर रुपये 25 प्रति दिवस के अतिरिक्त रु0 25 प्रति अर्थदण्ड देय होगा।

07-समस्त ई-रिक्शा चालकों के पास वैध पहचान पत्र (ठेकेदार द्वारा) होना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञप्ति गृहिता को निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा।

01-कोई भी अनुज्ञप्ति गृहिता ना ही किसी निषेध द्रव का प्रयोग करेगा ना ही किसी ई-रिक्शा में बैठने वाली सवारी को ऐसा करने देगा, किसी भी प्रकार का मद्यपान जिसमें एल्कोहल हो का प्रयोग अथवा सेवन नहीं करेगा।

02-नगर आयुक्त एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ई-रिक्शा के लाईसेन्स का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

03-अनुज्ञप्ति अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान के नाम से परिवर्तित अथवा हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

04-नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी उपविधि से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति जारी करेगा और वही अनुज्ञप्ति अधिकारी होंगा।

- 05- प्रत्येक अनुज्ञप्ति जो उपविधि के अधीन स्वीकार किया जायेगा उसकी अवधि वित्तीय प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिय मान्य होगी। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 31 मार्च से पूर्व नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। 31 मार्च के बाद नवीनीकरण करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त नवीनीकरण शुल्क देय होगा।
- 06- उपविधि का उल्लंघन करने पर पर नगर आयुक्त/नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी/कर निरीक्षक/कर अधीक्षक/लाईसेन्स से सम्बन्धित किसी भी अनुज्ञा को निलम्बित/रद्द कर सकता है तथा बिना अनुज्ञा ई-रिक्शा के संचालक के विरुद्ध विधि कार्यवाही अथवा दण्डित करने हेतु सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही एवं नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 07 550 (क)(ख) के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत कर सकता है।
- 07- प्रत्येक ई-रिक्शा चालक के पास नगर निगम का वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य होगा।
- 08- प्रति माह आर0टी0ओ0 ऑफिस से रजिस्ट्रेशन होते ही निगम में रजिस्ट्रेशन करवाकर ठेकेदार लिस्ट को अद्यतन कर नगर निगम को उपलब्ध करवायेगा।
- 09- न्यूनतम बोली नगर निगम द्वारा निर्धारित की जायेगी। उच्चतम धनराशि के बोलीदाता को ठेका दिया जायेगा।
- 10- नीलामी/निविदा में प्रतिभाग करने वाले बोलीदाताओं को नीलामी/निविदा से पूर्व नगर निगम के सभी अनुभागों यथा (कर अनुभाग/लाईसेन्स अनुभाग/स्वास्थ्य अनुभाग) से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अदेयता प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
- 11- अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित अथवा रद्द करने अथवा अन्य इस उपविधि से सम्बन्धित किसी आदेश के विरुद्ध की तिथि से 15 दिवस में प्रतिवेदन नगर आयुक्त के नाम प्रेषित किया जा सकता है। जिसमें नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। यदि नगर आयुक्त आवश्यक समझे तो प्रकरण बोर्ड को संदर्भित किया जा सकता है जिसमें बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

शुल्क:-

- 01- निजी/सार्वजनिक ई-रिक्शा हेतु दैनिक शुल्क दर रुपये 25.00 होगी।
- 02- वार्षिक लाईसेन्स शुल्क प्रथम वर्ष हेतु ₹0 1000.00 प्रति ई-रिक्शा होगा तथा आगामी वर्षों में नवीनीकरण शुल्क ₹0 500.00 प्रति वर्ष प्रति ई-रिक्शा होगा।

शास्ति

नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 550 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर निगम काशीपुर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि के किसी भी नियमों का उल्लंघन अथवा भंग करने वाले व्यक्ति पर 1000.00 रुपये (एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड लिया जा सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम अभियोग के पश्चात् रुपये 200 (दो सौ रुपये) प्रतिदिवस अधिकतम 5000.00 (पाँच हजार रुपये) अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।

मनीष कुमार
नगर आयुक्त,
नगर निगम काशीपुर।

दीपक बाली
महापौर,
नगर निगम काशीपुर।